प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 104/2022

अनवान : –

1. लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी मेघाना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः 19.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970है0 भूमि में से क0स0 104 पर प्रार्थी के नाम 1778/97897 हिस्सा भूमि व क0स0 105 पर 6731/978970 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्सा में प्रार्थी का नाम व जाति लुणसिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति जाट कतई गलत तौर से दर्ज हो गया है जबकि जमाबंदी की क0स0 104 पर प्रार्थी की जाति सही तौर से दर्ज है जबकि क0स0 105 पर जाति राजपूत के स्थान पर जाति जाट कतई गलत दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में लूणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति रापजूत दर्ज है। प्रार्थी अपने दस्तावेजों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम व जाति सही व दुरस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का नाम व जाति सही कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर के पत्रांक 7659 दिनांक 19.06.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित कि गई की रिकॉर्ड ऑनलाईन करते समय उक्त खाता के क्रम स0 106 पर कौम राजपूत के स्थान पर सहवन से जाट दर्ज हुआ है तथा लुणासिंह व लुणसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:38:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 में क्रम स0 104 पर प्रार्थी का लुणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत दर्ज है एवं क्रम स0 105 पर लुणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति जाट दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम लूणासिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लूणसिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति जाट दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा पैन कार्ड आधार कार्ड, आदि में प्रार्थी का नाम लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना ने तस्दीक भी पेश की गई है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत मेघाना के आधार पर प्रार्थी का नाम लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं सरपंच ग्राम पंचायम मेघाना की तस्दीक के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना तहसील नोहर के खाता स0 178/178 की कुल 97.8970है0 भूमि में से क्र0स0 104 पर प्रार्थी का नाम लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत व क्र0स0 105 पर लुणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति जाट के स्थान पर **लुणासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत का संशोधन किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच लुणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति जाट के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का लुणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति जाट के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम लुणसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति जाट ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 19/6/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:58:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : चक सरदारपुरा